



**कार्यालय,**

**राजिब, प्राथमिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सखनऊ।**

**संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537**

**सखनऊ: दिनांक: 09/08/2021**

**कार्यालय आप:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु शिक्षण सार्वभौमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विकास प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विकास/ पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मादों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विकास प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/ पीसीओआईओ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पीसीओआईओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एका 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, रोबर्ट्सगंज विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय ढांचे में पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,000 प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000,000 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,000 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक संस्था/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर साक्ष्य द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्ष्यनादेश प्रकटी होगी, और अनुपालन कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की नवीनताय उसे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3050 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाय) विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्गत साक्ष्यनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आईसीटीआई/पीसीओआईओ से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविनियमों/अधिनियमों/साक्ष्यनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षण सत्र फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात बाधर किया जाता है तथा बाधर बात के संबंध में या, आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षण सत्र फार्मसी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीओ-आईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के सम्बन्ध से) प्रवेश संस्था सत्र पर शीघ्र प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताय आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूर्ति भूमि, स्टाफ, साक्ष्य-सम्पत्त, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपर्युक्त आवश्यकता उपलब्ध कराने के साथ रेमिंग रोखने के सम्बन्ध में समझ आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संबंधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अतिरिक्त, भूमि-सम्पत्त, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभाल में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति नहीं जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, सम्पत्त, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सखनऊ-सखनऊ ए०आईसीटीआई/पीसीओआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष अनुसाक्ष्यनादेश कार्यवाही की जाएगी।

**(सुनील कुमार सोनकर)**

**सचिव**

**पु०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3536-4809**

**दिनांक: 09/08/2021**

**प्राथमिक-**

**प्रशासनिक/निदेशक, SAI HOSPITAL AND INSTITUTE OF PHARMACY SAHAJOUR  
ROBERTSGANJ, SONSHADRA-231216**

  
**(सुनील कुमार सोनकर)**

**सचिव**

**कार्यालय,****संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/9862****लखनऊ दिनांक: 14/10/2022****कार्यालय ज्ञापः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मरीटो कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघिय सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थीया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचक प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 14/10/2022 को संघिय कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघिय हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघीयित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता पुनः सहीत अन्य सर्दी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित सर्दी के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

<b>संस्था का कोड एवं नाम : 4025-SAI HOSPITAL AND INSTITUTE OF PHARMACY</b>			
<b>क्र०सं०</b>	<b>पाठ्यक्रम का नाम</b>	<b>ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता</b>	<b>परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता</b>
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु सर्दी**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सर्दी का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, संशुद्ध विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनवर्दी को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्वीट पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय चारमेरी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय चारमेरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग करवा/करा से प्राप्त किया जायेगा। उत्प्रेरक के अतिरिक्त उत्प्रेरकओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवर्दी प्रभावी होंगे, और अनुसूचक कार्यक्रमों का प्रयोग करना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संसूक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित सर्दी को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनवर्दी के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमवली/अधिनियमों/शासनवर्दी/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संसूक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

Sheet:1/1

4/0

10/10/2022, 10:24 AM

Sheet:1/1

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० से अनुसूचन निरका किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और संस्थान रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संसूक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई न्याय दायर किया जाता है तथा दायर का के संबंध में स. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संसूक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित नवदस्तावेजों प्रवेश होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० से अनुसूचन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (कार्पोरेशन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परस्वीर प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, संस्था, समय-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, संसूक्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपसूक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेसिडेंस रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रत्येकित संघीय पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो लखनऊ संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जेनेरल क्वार्टर निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सामान ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्दी का अनुपालन न किये जाने अपवाक सर्दी का उपकरण किये जाने की स्थिति में निगमनसूचक अनुसूचक/न्यायक कार्यवाही की जायेगी।

  
(ए०आई०सी०) खान

सचिव

**पु०सं०- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/9863-9891****दिनांक: 14/10/2022**

प्राविधिक-

प्रधानकार/निदेशक/SAI HOSPITAL AND INSTITUTE OF PHARMACY

  
(ए०आई०सी०) खान

सचिव